Sixteenth Loksabha

an>

Title: Need to provide alternative land to farmers of Bikaner, Jaisalmer and Barmer districts in Rajasthan whose lands fall beyond fencing along international border in Rajasthan.

कर्नल सोनाराम चौधरी (बाड़मेर): देश की आजादी के साथ ही देश के विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई तो भारत एवं पाकिस्तान की सीमा निर्धारण का कार्य तत्कालीन ऑर्केटेक्ट रेडक्लीफ द्वारा किया गया। तत्पश्चात् सीमा निर्धारण हेतु (पिलर) लगाए गए। 1994-95 में देश में सुरक्षा की दृष्टि एवं सामरिक कारणों से भारतीय सीमा में तारबन्दी करने का निर्णय लिया गया, जिसके तहत अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों के अनुसार स्तम्भ (पिलर) से 150 गज यानि लगभग 450 फीट भारत की सीमा में तारबन्दी करवाई गई। इस हेतु केंद्र सरकार के रक्षा मंत्रालय एवं संबंधित राज्य के राजस्व विभाग द्वारा जमीन अवाप्ति करने एवं तारबंदी का कार्य करवाया गया। तारबंदी से पूर्व किसान जिनकी काश्तकारी जमीन स्तम्भ (पिलर) के पास थी उस पर काश्तकार काश्त किया करता था। जम्मू-कश्मीर, पंजाब एवं राजस्थान में श्री गंगानगर एवं हनुमानगढ़ जिले के काश्तकारों ने जागरूक रह कर रक्षा मंत्रालय एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों से वार्ता कर काश्त करने हेतु सुविधानुसार प्रत्येक 1-2 कि. मी. के बीच गेट खुलवा दिए ताकि वे अपनी काश्तकारी जमीन पर काश्त कर सकें। बीकानेर, जैसलमेर एवं बाडमेर जिले के काश्तकारों की अशिक्षा एवं जागरूकता की कमी के कारण उक्त जिले में हो रही तारबंदी के समय गेट नहीं खुलवाए। इसी का परिणाम है कि तीनों जिलों के 666 कि. मी. लंबे सीमावर्ती क्षेत्र के 55 गांवों के 1959 काश्तकार 11465 बीघा पुश्तैनी जमीन पर काश्त करने से वंचित हैं। किसानों द्वारा कई बार मांग करने एवं धरना प्रदर्शन के बाद भी केंद्र एवं राज्य सरकार ने हल नहीं निकाला। विवश होकर लोगों ने न्याय की उम्मीद में माननीय उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। माननीय न्यायालय ने दिनांक 28.1.2013 को केंद्र एवं राज्य सरकार के साथ ही संबंधित विभागाध्यक्षों को आदेश दिया कि किसानों की पुश्तैनी जमीन पर काश्त करने का इनका हक दिया जाए और उनकी मांग के अनुसार समाधान किया जाए। किसानों की परेशानी को देखते हुए मेरे द्वारा पूर्व में दिनांक 9.12.2014 को नियम 377 के तहत मुद्दा रखकर सरकार का ध्यान आकर्षित किया और गृह मंत्रालय से पत्र व्यवहार भी किया। परन्तु अफसोर है कि किसानों के हित में अभी भी कोई निर्णय नहीं हो पाया है।

मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि भारत-पाक सीमा तारबंदी और जीरों प्वाइंट के बीच 100 मीटर जमीन आई हुई है, लेकिन किसानों को सिर्फ 6 फीट का ही हक मिला है। यानी जो जमीन तारबंदी के नीचे आई है उसी का

मुआवजा दिया गया है, जबकि तारबंदी से जीरों प्वांइट तक 100 मीटर जमीन छोड़ी गई है, जिसमें राजस्थान के श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर एवं बाड़मेर चार जिलों के 666 किलोमीटर तक 11 हजार बीघा जमीन है। किसानों की मांग है कि

1. जीरो प्वाइंट से तारबंदी के बीच गई 11 हजार बीघा इस जमीन के बदले किसानों को अन्यत्र निकटतम राजस्व ग्रामों में उपलब्ध करवाई जाए।

2. बाजार भाव से नियमानुसार शेष जमीन का मुआवजा दिया जाए।

3. प्रत्येक 1-2 किलोमीटर पर गेट खोलकर संबंधित काश्तकारों को उनकी जमीन काश्त करने का हक दिया जाए।